संख्या-24/2016/मंत्री 894/52-2-2016-2(10)/16

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 27 अक्टूबर, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि सुरक्षा योजनान्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ का जनपदवार धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-10/2016/614(1)/52-2-2016-2(10)/16 दिनांक 13.06.2016 तथा शासनादेश संख्या-14/2016/1135/52-2-2016-2(10)/16 दिनांक 26.08.2016 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि सुरक्षा योजनान्तर्गत चहारदीवारी के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ (रूपया चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रदेश के जनपदो को आवंटित/ स्वीकृत धनराशि रू0 37568.99714 (तीन सौ पचहत्तर करोड अडसठ लाख निन्नाबे हजार सात सौ चौदह मात्र) के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 2431.00286 (रूपया चौबीस करोड इकतीस लाख दो सौ छियासी मात्र) मे से रू0 300.00 लाख (रूपया तीन करोड मात्र) को निम्नलिखित तालिका के अनुसार आवंटित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख मे)

क्र0सं0	मण्डल का नाम एवं कोड संख्या	जनपद का नाम	शासनादेश दिनांक 26.08.2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि	शासनादेश दिनांक 26.08.2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	
1	आजमगढ	बलिया	227.6154	150.00
2	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1289.239	150.00
	योग			300.00

(रूपया तीन करोड मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रश्नगत योजना हेतु शासनादेश दिनाक 13-6-2016 द्वारा डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 मे रक्षित धनराशि को जनपदो हेतु उपरोक्तानुसार आवंटित अतिरिक्त धनराशि का 50 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृत/सहमति प्रदान की जाती है।

3- प्रश्नगत योजना से संबंधित शासनादेश दिनाक 13-6-2016 के प्रस्तर-2 मे उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धो का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित कराया जाय।

4- शासनादेश संख्या-1052/52-2-2012-2(69)/07टी0सी0-3 दिनांक 10 सितम्बर 2012 मे दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार चयनित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण मे माननीय जन प्रतिनिधियो द्वारा दिये गये स्थलो को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वरीयता दी जाय व कार्य को शीध्रातिशीध्र प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जायें।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1746 /दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या व दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सर्वे कमिश्नर वक्फ,उ0प्र0, लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त, आजमगढ मुरादाबाद उ0प्र0
5. जिलाधिकारी, आजमगढ मुरादाबाद उ0प्र0।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, आजमगढमुरादाबाद उ0प्र0।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी,अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी आजमगढमुरादाबाद उ0प्र0।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
11. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in